

अनुदान संख्या 80 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 80-DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | | | |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | | | |
| मूल | Original | 51569,81,00 | | |
| पूरक | Supplementary | 39360,61,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | 90930,42,00 | 90926,92,90 | -3,49,10 |
| पूंजीगत: | Capital: | | | |
| स्वीकृत- | Voted- | 50,00 | 50,00 | . . |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------|
| मुख्य शीर्ष "3451" | Major Head "3451" | | | |
| सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Secretariat - Economic Services | | | |
| मू. | O. | 1356.00 | | |
| पू. | S. | 352.00 | | |
| पु. | R. | 151.00 | | |
| | | 1859.00 | 1850.92 | -8.08 |
| मुख्य शीर्ष "2216" | Major Head "2216" | | | |
| आवास | Housing | | | |
| मू. | O. | 485900.00 | | |
| पू. | S. | 306001.00 | | |
| पु. | R. | 88100.00 | | |
| | | 880001.00 | 879992.72 | -8.28 |

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|--|--|--|-----------------|
| | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) | | |
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development | | | |
| मू. | O. | 193250.00 | | |
| पू. | S. | 18000.00 | 233750.00 | 233742.52 |
| पु. | R. | 22500.00 | | -7.48 |
| मुख्य शीर्ष "2505" ग्रामीण रोजगार | Major Head "2505" Rural Employment | | | |
| मू. | O. | 3040000.00 | | |
| पू. | S. | 3475020.00 | 6750020.00 | 6749947.41 |
| पु. | R. | 235000.00 | | -72.59 |
| मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | Major Head "2515" Other Rural Development Programmes | | | |
| मू. | O. | 39350.00 | | |
| पू. | S. | 672.00 | 44606.00 | 44522.94 |
| पु. | R. | 4584.00 | | -83.06 |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | |
| मू. | O. | 285000.00 | | |
| पू. | S. | 121000.00 | .. | .. |
| पु. | R. | -406000.00 | | .. |
| मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु | Major Head "3054" Roads and Bridges | | | |
| मू. | O. | 1112125.00 | | |
| पू. | S. | 15016.00 | 1182641.00 | 1182636.39 |
| पु. | R. | 55500.00 | | -4.61 |

(I) 406005.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 406000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - इंदिरा आवास योजना" - 88100.00 लाख रु. (अक्टूबर, 2008 और दिसंबर, 2008 में प्राप्त किए गए 34000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित)थे;

(खा) "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता" - 23700.00 लाख रु. (दिसंबर, 2008 में प्राप्त किए गए 2000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित)थे;

(गा) "अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - खाद्यान्न संघटक" - दिसंबर, 2008 में प्राप्त किया गया 75000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान था;

(घा) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" - 150.00 लाख रु.;

(ङ) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय" -

(क) "जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन" - 2500.00 लाख रु.;

(ख) "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाओं के लिए प्रावधान" - 300.00 लाख रु.;

(ग) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण" - 750.00 लाख रु.;

(चा) "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" - 55500.00 लाख रु. (दिसंबर, 2008 में प्राप्त किए गए 10000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित)थे; और

(I) Provision of Rs.406005.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.406000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Rural Housing - Other Expenditure - Indira Awaas Yojana" - Rs.88100.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.34000.00 lakhs obtained in October, 2008 and December, 2008);

(B) "Self Employment Programme - Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies" - Rs.23700.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.2000.00 lakhs obtained in December, 2008);

(C) "Other Programmes - Sampoorna Gramin Rojgar Yojana - Foodgrain Component"- supplementary grant of Rs.75000.00 lakhs obtained in December, 2008;

(D) "Other Rural Development Programme- Training - Grants to National Institute of Rural Development" - Rs.150.00 lakhs;

(E) "Other Rural Development Programme - Other Expenditure"-

(a) "DRDA Administration"- Rs.2500.00 lakhs;

(b) "Provision for Urban Amenities in Rural Areas (PURA)" - Rs.300.00 lakhs;

(c) "Management Support to Rural Development Programmes and strengthening District Planning Process" - Rs.750.00 lakhs;

(F) "District and Other Roads - Road Works - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana"- Rs.55500.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.10000.00 lakhs obtained in December, 2008); and

(छा) “ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों को सहायता” - 160000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2501” - “स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - विपणन” के अंतर्गत 1200.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण उत्पाद विपणन अभिकरणों की स्थापना न किए जाने और ग्रामीण विकास पवेलियन द्वारा कार्य न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2515” - “अन्य व्यय - ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं का प्रावधान” के अंतर्गत 2699.32 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति/मंत्रिमंडल से स्कीम को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.13 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थी।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (310377.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अक्टूबर, 2008, दिसंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में 3796709.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2216” - “ग्रामीण आवास - अन्य व्यय - इंदिरा आवास योजना/समग्र आवास योजना/ ऋण एवं आर्थिक सहायता स्कीम” - 88177.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 88171.09 लाख रु. था।

(G) “Rural Employment Guarantee Scheme-National Rural Employment Guarantee Scheme-Assistance to DRDA/DPCO” – Rs.160000.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on the schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “2501” – “Self Employment Programme - Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana - Marketing”- saving of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-establishment of National Rural Product Market Agencies and non-functioning of Rural Development Pavilion.

(III) Under Major Head “2515” – “Other Expenditure- Provision of Urban Amenities in Rural Areas (PURA)” – saving of Rs.2699.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to non receipt of approval of scheme from Expenditure Finance Committee/Cabinet.

(IV) Under one head saving of Rs.65.13 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.310377.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.3796709.00 lakhs in October 2008, December,2008 and February, 2009 - under the following major heads:-

(A) Major Head “2216” – “Rural Housing - Other Expenditure – Indira Awaas Yojana/ Samagra Awaas Yojana/Credit-cum-Subsidy Scheme” – Rs.88177.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.88171.09 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2505" - "ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्यो को सहायता" - 160000.00 लाख रु. तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 159999.00 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2515" - "अन्य व्यय - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण - प्रशासन" - 6700.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6698.99 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला तथा अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" - 55500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 55495.39 लाख रु. था।

(II) बचते निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - ग्रामीण विकास विभाग" - 142.92 लाख रु. का अधिक व्यय (अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 352.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1708.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2501" - "स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और अन्यो को सहायता" - 23694.04 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2008 में प्राप्त किए गए 18000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 207865.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष "2505" - "अन्य कार्यक्रम - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - खाद्यान्न संघटक" - 75000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2008 में प्राप्त किए गए 675000.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष "2515" -

(क) "प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" - 123.00 लाख रु. का अधिक व्यय

(B) Major Head "2505" - "Rural Employment Guarantee Scheme- National Rural Employment Guarantee Scheme - Assistance to DRDA/DPC and others" - Rs.160000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.159999.00 lakhs.

(C) Major Head "2515"- "Other Expenditure - District Rural Development Agencies- Administration" - Rs.6700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6698.99 lakhs.

(D) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Road Works - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - Rs.55500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.55495.39 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Rural Development" - excess of Rs.142.92 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1708.00 lakhs including supplementary grant of Rs.352.00 lakhs obtained in October, 2008) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(B) Major Head "2501" - "Self Employment Programme - Swarnajayanti Gram Swarazgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies and Others" - excess of Rs.23694.04 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.207865.00 lakhs including supplementary grant of Rs.18000.00 lakhs obtained in December, 2008);

(C) Major Head "2505" - "Other Programmes - Sampoorna Gramin Rojgar Yojana- Foodgrains Component" - excess of Rs.75000.00 lakhs (against the supplementary provision of Rs.675000.00 lakhs obtained in December, 2008);

(D) Major Head "2515" -

(a) "Training- Grants to National Institute of Rural Development" - excess of Rs.123.00 lakhs

(अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 451.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2711.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “अन्य व्यय - ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण” - 412.25 लाख रु. का अधिक व्यय (6750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. **राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि:-**

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके जमा की जाती है।

वर्ष 2008-09 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

अथशेष
प्राप्तियां
अदायगियां
अंतशेष

(against the total sanctioned provision of Rs.2711.00 lakhs including supplementary grant of Rs.451.00 lakhs obtained in October, 2008); and

(b) “Other Expenditure - Management Support to Rural Development Programme and Strengthening District Planning Process” – excess of Rs.412.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6750.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. **National Employment Guarantee Fund:-**

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilised in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

The Account of the Fund for 2008-09 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | |
|-----------------|-------------|
| Opening Balance | शून्य Nil |
| Receipts | 30000,00,00 |
| Payments | 30000,00,00 |
| Closing Balance | शून्य Nil |